भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3332
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

शिक्षा और रोजगार

3332. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा और रोजगार के बीच के सेतु में सुधार करने और युवाओं को भविष्य में कार्य के लिए तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ख) असम में अब तक इसके लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) निर्धारित लक्ष्य और अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुक्रिया क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य में व्यापक वर्ग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को एक चरणबद्ध ढंग से समस्त शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा की मुख्यधारा में एकीकृत करना है। मिडिल एवं माध्यमिक स्कूल में बाल्यावस्था आयु में ही व्यावसायिक शिक्षा के प्रकटीकरण से शुरू करते हुए, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को सरलता से उच्चतर शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। यह धारणीय विकास लक्ष्य 4.4 के अनुरूप है तथा इससे भारत की जनांकिक लांभाश की पूर्ण संभाव्यता को पहचानने में मदद मिलेगी।

शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल (एसएचआरईवाईएएस) हेतु एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है-जो कि एक ऐसा कार्यक्रम है जो उपाधि, मुख्यतः गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों हेतु कल्पित किया गया है जो उनके शिक्षण में नियोजनीय कौशलों को आरंभ करने, शिक्षा के अंग के रूप में शिक्षुता का संवर्द्धन करने तथा शिक्षा प्रणाली के प्रयासों को सुकर बनाते हुए रोजगार को भी समामेलित करने हेतु है ताकि विद्यार्थियों को अपने स्नातक के दौरान तथा उसके उपरांत रोजगार अवसरों की दिशा में सुस्पष्ट मार्ग उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है जिससे युवाओं की रोजगार तक पहुंच के लिए उनकी नियोजनीयता भी बढ़ती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, पक्षसमर्थन तथा कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आटीआई, पीएमकेके, जेएसस आदि में उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास हेतु एक समर्थकारी ईकोसिस्टम सृजित करने हेतु एक पायलट योजना, प्रधान मंत्री युवा (पीएम-युवा) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह पायलट योजना दस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। असम और मेघालय में, पीएम युवा पायलट चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलीटेक्नीक, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) एवं जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में कार्यान्वित की जा रही है। एमएसडीई जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लाभार्थियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्लस्टर कारीगरों को उनकी आजीविका जुड़ाव हेतु क्षमता निर्माण एवं दस्ताकारी सहायता भी प्रदान करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमशीलता विकास हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशलीकरण हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2020-21 में असम में प्रशिक्षित एवं नियोजित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 7208 एवं 5145 है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। योजना का उद्देश्य युवाओं सहित ग्रामीण निर्धनों की गैर-कृषीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। 2018 से असम के प्रखण्डों में सहायता प्रदान किए गए उद्यम 3624 हैं तथा जून, 2021 को बनाए गए उद्यम 670 हैं।

वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) विनिर्माण, सेवा अथवा व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से संबंधित कार्यकलापों में हरित उद्यम की स्थापना हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऋणी तथा एक महिला ऋणी को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का प्रति बैंक शाखा किसी अनुसूचित व्यापारिक बैंक (एसबीसी) से ऋण देने को सरल बनाने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 31.03.2021 को 2020-21 में असम राज्य में 37.08 करोड़ रुपए की धनराशि से 141 ऋण संवितरित किए गए हैं।

डीएफएस प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है जो गैर-कृषीय क्षेत्र तथा कृषि से जुड़े कार्यकलापों में व्यापारिक कार्यकलापों हेतु व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक के गैर जमानती ऋण को सुकर बनाती है। 31.03.2021 को, असम राज्य में 2020-21 में 7657.19 करोड़ रुपए की धनराशि से 11.89 लाख से अधिक ऋण संवितरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है। एनसीएस परियोजना के तहत, सरकार रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रोजगार कार्यालयों के आदर्श करियर केंद्रों में उन्नयन सहित आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना करने हेतु 50 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। सरकार राज्य सरकारों को रोजगार मेले आयोजित करने, सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं मौजूदा रोजगार कार्यालयों के नवीकरण हेतु एनसीएस परियोजना के इंटरलिंकिंग घटक के तहत अनुदान-सहायता भी प्रदान कर रही है। रोजगार कार्यालय को आपस में जोड़ने के घटक तहत, असम राज्य को 4.64 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीसी घटक के तहत, 2.61 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता को अनुमोदित किया गया है।

*****